स्वर्णिम 50 वर्ष
1973-2023

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
(PABX) 2762203, 2762205, 2762094, 2762097
Email: programmer.mpmandiboard@gmail.com

परिकल्पना व संयोजन
चंद्रशेखर वशिष्ठ, अपर संचालक
संदीप चौबे, चीफ प्रोग्रामर
योगेश नागले, सहायक संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

स्वर्णिम 50 वर्ष
1973-2023

50 वर्षों का सुनहरा सफर

50 वर्षों का सुनहरा सफर

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मंडी, भोपाल

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि दिनांक 04 अगस्त 2023 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपनी स्थापना का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव आयोजित कर रहा है एवं इस अवसर पर स्मारिका प्रकाशित कर रहा है।

पचास वर्षों में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जिस प्रकार से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी कृषि फसल यथा उत्पाद का सही मूल्य दिलाने की दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जिस प्रकार से कृषि विपणन के कार्य में नवीनतम तकनीक "ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली 24X7" को विकसित कर कृषि उपजों के परिवहन को आसान कर प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को स्वयं ई-अनुज्ञा बनाने की सुविधा प्रदान की है, वहीं "एमपी फार्मगेट ऐप" के माध्यम से प्रदेश के किसानों को अपनी उपज खेत, खलिहान व घर से उनके तय मूल्य पर विक्रय करने का विकल्प प्रदान कर किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास में भागीदार बनाने का सराहनीय प्रयास किया है।

हार्दिक शुभकामनायें।

(शिवराज सिंह चौहान)

कृषि उपज मंडी, विदिशा

नरेन्द्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री, भारत सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपने गठन के स्वर्ण जयंती महोत्सव दिनांक 04 अगस्त 2023 को मनाने जा रहा है। मैंने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य समय-समय पर देखा है और पाया है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भारत वर्ष में कृषि विपणन सुधारों को अंगीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा कृषि विपणन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देश में नवाचारों को नेतृत्व प्रदान किया। कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने हेतु समय-समय पर कृषि विपणन नियमों में सुधार किये और साथ ही प्रदेश में बेहतर कृषि विपणन उपयोगी पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं, अवसंरचना, व्यवस्थाएं लगातार मुहैया कराने के लिए हर संभव सफल प्रयत्न किये।

मैं कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किए गए कार्यों और उसकी अनुषांगिक इकाई कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निरंतर कृषकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विभिन्न प्रकार से किए जा रहे कार्यक्रमों और प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कृषि विपणन क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कृषक भाई, व्यापारी भाई, हम्माल-तुलावटी भाई और अन्य अनुषांगिक कृत्यकारी तथा विपणन बोर्ड के समस्त अधिकारी/ कर्मचारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना प्रेषित करता हूं।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

कृषि उपज मंडी प्रांगण अरनियापिथा, जावरा

कमल पटेल

मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन के दिनांक 04 अगस्त 2023 को 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयन्ती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं किसान पुत्र हूं और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री बनने के बाद भी अपने खेतों पर कृषि उपज की खेती भी करता हूं। मुझे पता है कि मण्डियों में किसान की कृषि उपज की विक्रय दरें नीचे आने पर कृषक का मन कितना दुखी और निराश होता है। इसलिये मैं प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य (MSP) के स्थान पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) बनाने के लक्ष्य को सामने रखकर कार्य कर रहा हूं। प्रदेश के मेहनतकश किसानों के प्रयास से ही प्रदेश की मण्डी समितियों ने कृषि विपणन के क्षेत्र में जिन्सों की आवक एवं मण्डियों की आय में प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। मेरे द्वारा कृषि मंत्री बनते ही मान. मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से चना मसूर सरसों के उपार्जन की अधिकतम मात्रा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्वि. प्रति किसान कराई तथा जो उपार्जन अप्रैल, मई,जून में सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाता था वह 15 मार्च से कराने से किसानों को बढ़े भाव पर खुले बाजार में ही विक्रय से कई हजार करोड़ का लाभ हुआ और सरकार को बचत हुई। किसानों की आयवृद्धि होने से मा. प्रधानमंत्री जी का विजन और मान. मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ।

प्रदेश के कृषक बंधुओं को कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी एंड्राईड मोबाईल के माध्यम से एमपी फार्मगेट ऐप को डाउनलोड कर उपज का विक्रय अपने घर/खलिहान/गोदाम से करने की सुविधा प्रदान की गई है, इसका लाभ महिला किसानों को भी हुआ है जो प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार हुआ है। इस योजना को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में स्टेट गर्वन्मेंट केटेगिरी में पुरुस्कृत किया है। भारत सरकार द्वारा कृषि अधोसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम का संचालन किया जा रहा है जिसमें म.प्र. देश में अग्रणी है। इस योजना के द्वारा कृषक कृषि से जुड़े उद्यमि, एफ.पी.ओ.एस., स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पी.ए.सी.एस. इत्यादि जो भी लोग कृषि से जुड़े हैं उनके द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है।

मण्डी बोर्ड द्वारा किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के विकास में सराहनीय योगदान दिया है। पचास वर्षों में मण्डी बोर्ड ने जिस प्रकार से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी फसल यथा उत्पाद का सही मूल्य दिलाने की दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रदेश के किसानों, व्यापारियों, हम्माल तुलावटियों व मण्डी बोर्ड तथा मण्डी समितियों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेंरी ओर से हार्दिक शुभकामनायें।

(कमल पटेल)

केला नीलामी बुरहानपुर मंडी

मध्यप्रदेश शासन

सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू
उपाध्यक्ष
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के गठन के 50 वर्ष दिनांक 04 अगस्त 2023 को पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम दिनांक 02 अगस्त से 04 अगस्त 2023 तक मनाया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में वृक्षरोपण, कृषक गोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को बेहतर भाव दिलाने एवं मंडी समितियों की अन्य योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है, साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये जाने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

म.प्र. शासन एवं मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को दी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रसारित किया जा रहा है जिससे किसान भाईयों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर मण्डी बोर्ड एवं मण्डी समिति परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, मंडी बोर्ड परिवार उत्तरोत्तर विकास एवं सफलताएं प्राप्त करें, ईश्वर से प्रार्थना करती हूं।

(सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू)

अशोक वर्णवाल
अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि दिनांक 04 अगस्त 2023 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती महोत्सव आयोजित कर रहा है एवं इस अवसर पर स्मारिका प्रकाशित कर रहा है। पचास वर्षों में प्रदेश की मण्डी समितियों ने कृषि विपणन के क्षेत्र में जिन्सों की आवक एवं मण्डियों की आय में प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुये प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में "ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली" के माध्यम से प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को उनके द्वारा क्रय कृषि उपज के परिवहन हेतु गेट पास स्वयं बनाने की सुविधा प्रदान कर उल्लेखनीय कार्य किया है।प्रदेश के कृषक बंधुओं को अपने एंड्राईड मोबाईल के माध्यम से एमपी फार्मगेट ऐप को डाउनलोड कर अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने घर/खलिहान/गोदाम से अपने दाम पर करने की सुविधा प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला पूरे देश में इकलौता राज्य है। इसे कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 में पुरस्कृत किया है।

प्रदेश में कृषि उपज के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा गोदामों के निरीक्षण के लिए एक एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन फ्लाइंग स्कॉट ऐप का विकास किया गया है, जिसे प्रयोगिक रूप में प्रदेश की मण्डी समितियों में क्रियान्वित किया जाना आरम्भ है। इस ऐप के माध्यम से कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्रवाई को real-time दर्ज किये जाने की व्यवस्था है। मण्डी बोर्ड का यह सराहनीय प्रयास है।

इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनायें।

(अशोक वर्णवाल)

गौतम सिंह
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मध्यप्रदेश शासन

संदेश

बड़े ही हर्ष का विषय है कि दिनांक 04 अगस्त 2023 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने जा रहा है, मेंरा सौभाग्य है कि इस स्वर्णीम अवसर पर मण्डी बोर्ड के गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा की स्मारिका का प्रकाशन किया जा कर रहा है।

पचास वर्षों में कृषि उत्पादन के व्यापार में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति अनुरुप मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड सतत प्रयत्नशील है। प्रदेश की मण्डी समितियों ने कृषि विपणन के क्षेत्र में जिन्सों की आवक एवं मण्डियों की आय में प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है।

भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना के क्रियान्वयन में देश द्वितीय स्थान पर एवं भारत सरकार द्वारा कृषि अधोसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उददे्श्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम के संचालन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। शासन के निर्देशन में मण्डी बोर्ड ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में किर्तिमान स्थापित करते हुये गेहूं निर्यात में देश में मध्यप्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुये प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में "ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली", एंड्राईड मोबाईल के माध्यम से एमपी फार्मगेट ऐप का क्रियान्वयन कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरुस्कार प्राप्त किया। इसी क्रम में प्रदेश की मण्डी समितियों की दैनिक गतिविधियों को real-time कम्प्यूटरीकृत करने एवं कृषि उपज के अवैध व्यापार पर नियंत्रण व गोदामों के निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्कॉट ऐप का विकास किया है।

इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी को मेंरी ओर से हार्दिक शुभकामनायें।

(गौतम सिंह)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्डः **एक यात्रा**

वर्ष 1973 जब मंडी बोर्ड का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एक ही राज्य होकर मध्य प्रदेश कहलाता था इस राज्य में 300 मंडी समितियां संचालित थी वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक होकर जब छत्तीसगढ़ नवीन राज्य बना, तब छत्तीसगढ़ में 70 मंडी समितियां पृथक हुई। तदुपरांत वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश में 230 मंडिया संचालित थी जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़कर वर्तमान परिदृश्य में 259 मंडी समितियों के साथ 298 उपमंडी भी किसानों की सेवा में सतत् तत्पर है।

मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 62000 से अधिक पंजीकृत व्यापारी मंडी समितियों में व्यापार कर रहे हैं साथ ही साथ लगभग 60,000 से अधिक हम्माल तथा तुलावटी भाई भी किसानों को अपनी सेवा दे रहे हैं अन्य कृत्यकारियों को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या 100000 से अधिक होगी। मंडी बोर्ड के गठन वर्ष के समय मंडी बोर्ड की सकल प्राप्तिओ को जोड़ा जाए तो वह ₹1 करोड़ के आसपास थी जो वर्तमान में बढ़कर 2000 करोड़ से अधिक हो गई है।

मध्य प्रदेश की 259 मंडी समितियों में लगभग 8000 अधिकारी /कर्मचारी सतत रूप से किसान भाइयों की सेवा में तत्पर हैं। मंडी बोर्ड का मूल सिद्धांत है कि किसान को उचित मूल्य मिले, उसकी तौल सही हो तथा उसे त्वरित भुगतान प्राप्त हो, इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति मंडी बोर्ड द्वारा की गई है। वर्तमान में प्रत्येक दिवस में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को व्यापारी भाइयों द्वारा किया जा रहा है मंडी समितियों की विपणन व्यवस्था में विश्वास रखते हुए किसान भाई अपनी कृषि उपज, मंडियों में बेचने के लिए अग्रसर रहते हैं। परिणास्वरूप मध्यप्रदेश की मंडियों में लगभग एक लाख साठ हजार करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर हो रहा है जिससे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपने गठन के समय से ही लगातार कृषक और कृषि विपणन के हित में अत्याधुनिक विपणन प्रणाली अंगीकृत करने, उसमें निरंतर सुधार कर पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने का दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन करता रहा है। म.प्र. ने राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा विपणन सुधार समिति की अनुशंसा अनुसार देश में सबसे पहले 21.07.1986 से कृषि उपज मंडियों में आढ़त प्रथा का उन्मूलन किया और मंडी समिति के कर्मचारी से घोष विक्रय के द्वारा खुली पारदर्शी नीलामी व्यवस्था प्रदान की। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ही देश में सर्वप्रथम कृषि विपणन सुधार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये कारोबार में सुविधा की दृष्टि से बहुबिंदू मंडी शुल्क के स्थान पर दिनांक 08.02.1990 से संपूर्ण प्रदेश में एकल बिंदु मंडी शुल्क प्रणाली लागू कर अग्रणी भूमिका निर्वहन की।

वर्ष 2003 में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल ए.पी.एम.सी. कानून भारत सरकार द्वारा अनुसंशित किया जाकर अन्य राज्यों को तदानुसार व्यवस्था हेतु अपेक्षा की गई। वर्ष 2003 में मंडी बोर्ड द्वारा संविदा कृषि हेतु व्यवस्था व प्रक्रिया निर्धारित कर कृषकों को संरक्षण प्रदान कराया गया। वर्ष 2009 में क्रेता लाईसेंस हेतु प्रांगण में शॉप अथवा गोदाम की अनिवार्यता समाप्त की गई। दिनांक 02.03.2009 से एकीकृत राज्य लाईसेंस कृषि उपज क्रय हेतु प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्ष 2009 में ही ई-टेडिंग प्लेटफार्म की अनुमति हेतु व्यवस्था का 2017 में उसमें और सरलीकरण व सुधार किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2012 में दिनांक 30.01.2012 से कृषि उपज मंडी को मंडी क्षेत्र में क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु लाईसेंस देने की अनुमति दी गई जिससे कि प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था लागू करने में मंडी बोर्ड देश में अग्रणी रहा। वर्ष 2012 में अधिसूचना दिनांक 27.01.2012 द्वारा कृषि उपज मंडी से इतर क्रय विक्रय करने पर मंडी समिति के विनियमन नियंत्रण को शिथिल किया गया। जिससे कि कृषकों को और प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे संव्यहार करने की सुविधा प्राप्त हो सकी।

वर्तमान में भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर म.प्र. की कृषि उपज मंडियों द्वारा नियमित आवक एवं भाव की प्रविष्ठि की जा रही है जिससे कि देश और दुनिया को प्रदेश के चप्पे चप्पे पर विद्यमान कृषकों और कृषि बाजारों की उपजों की दरों व आवक के डेटा निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। उक्त कार्य उपलब्धि में म.प्र. देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना

कृषि उत्पादन के व्यापार में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिये, राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान सन् 1973 में मंडी अधिनियम में किया गया है। सन् 1973 से सतत् रुप से प्रदेश की मंडियों के विकास के लिये मंडी बोर्ड निम्न उद्देश्यों के लिये समर्पित है:-

- कृषि उत्पादन के विक्रेता को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, सही तौल के लिये व्यवस्थायें कराना एवं उत्पादक को उसी दिन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराना।
- मंडियों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण, साईट प्लान्स एवं मास्टर प्लान का सम्पादन।
- मंडी प्रांगणों एवं उपमंडी प्रांगणों में नियोजित ढंग से सुविधायें विकसित करना।
- वित्तीय रुप से कमजोर मंडी समितियों को ऋण अथवा अनुदान देना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि आदानों को मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराना।
- मण्डी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करना, सुचारु एवं बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिये अधिनियम एवं तदाधीन नियमों में आवश्यक संशोधन के लिये समय समय पर राज्य शासन को सुझाव प्रस्तुत करना।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 07 आंचलिक कार्यालय, 13 तकनीकी कार्यालय तथा 259 कृषि उपज मण्डी समितियॉं स्थापित हैं।

मण्डी समितियों की स्थापना -

प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपजों का बेहतर नियमन एवं नियंत्रण स्थापित करने तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अधीन 259 मण्डियों एवं 298 उपमण्डी प्रांगण स्थापित किये गये हैं। जिनमें कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपजों का खुली नीलाम पद्धति से विक्रय किया जाकर उन्हें उसी दिन नगद भुगतान कराया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रदेश की संभागवार, प्रवर्गवार मण्डियों, उपमण्डियों

संभाग का नाम	जिलों की संख्या	प्रवर्गवार मण्डियों की संख्या					कुल उप मण्डियां
		"क" प्रवर्ग	"ख" प्रवर्ग	"ग" प्रवर्ग	"घ" प्रवर्ग	कुल मण्डियां	
भोपाल	8	12	11	8	18	49	57
इंदौर	8	6	8	8	12	34	62
उज्जैन	7	10	5	8	19	42	50
ग्वालियर	8	3	6	11	25	45	39
सागर	6	3	4	10	19	36	21
जबलपुर	8	4	7	7	17	35	47
रीवा	7	1	1	4	12	18	22
योग -	**52**	**39**	**42**	**56**	**122**	**259**	**298**

विशेष :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/249-250 दिनांक 09 फरवरी 2016 एवं संशोधन क्रमांक /बी-6/नियमन/वर्गीकरण/2069-2070 दिनांक 14 जुलाई 2016 से एवं संशोधन क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/391/1250-1251 दिनांक 22 अगस्त 2017 से वर्गीकृत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियां।

28 वर्षों में प्रदेश की मण्डी समितियों में कृषि उपजों की कुल आवक एवं मण्डी फीस से अर्जित आय का विवरण:-

क्रमांक	वर्ष माह अप्रेल से मार्च तक	कुल आवक (लाख टन में)	आवक में वृद्धि/ कमी का प्रतिशत	मण्डी फीस से आय (राशि करोड़ में)	आय में वृद्धि/ कमी का प्रतिशत
1	1995-96	78.52	-8.35%	75.93	3.78%
2	1996-97	71.96	20.25%	78.80	39.80%
3	1997-98	86.53	24.08%	110.16	-6.03%
4	1998-99	107.37	4.86%	103.52	-45.93%
5	1999-2000	112.59	0.12%	55.98	278.81%
6	2000-2001	112.72	-8.35%	212.04	3.78%
7	2001-2002	104.04	-7.70%	209.59	-1.15%
8	2002-2003	106.76	2.61%	219.19	4.58%
9	2003-2004	126.96	18.92%	276.73	26.25%
10	2004-2005	135.52	6.74%	277.95	0.44%
11	2005-2006	157.26	16.05%	327.40	17.79%
12	2006-2007	147.25	-6.37%	370.23	13.08%
13	2007-2008	173.74	17.99%	466.36	25.96%
14	2008-2009	169.49	-2.45%	478.23	2.55%
15	2009-2010	171.57	1.23%	571.16	19.43%
16	2010-11	217.52	26.78%	742.78	30.05%
17	2011-12	235.09	8.08%	763.50	2.79%
18	2012-13	252.63	7.46%	952.40	24.74%
19	2013-14	249.95	-1.06%	1030.38	8.19%
20	2014-15	258.24	3.32%	998.38	-3.11%
21	2015-16	262.20	1.53%	1074.33	7.61%
22	2016-17	253.70	-3.24%	1126.95	4.90%
23	2017-18	304.44	20.00%	1255.29	11.39%
24	2018-19	351.14	15.34%	1237.35	-1.43%
25	2019-20	339.08	-3.43%	1187.22	-4.05%
26	2020-21	347.84	2.58%	1011.52	-14.80%
27	2021-22	387.79	11.49%	1240.77	22.66%
28	2022-23	406.56	4.84%	1681.90	35.55%

नोट - * मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से प्रकाशित "राज्य शासन एतद्द्वारा वर्तमान मण्डी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रुपये 100/- पर रुपये 2/- के स्थान पर रुपये 1.50/- नियत करती है। जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रुपये 1.50/- या उससे कम मण्डी फीस की दर लागू है वह यथावत लागू रहेगी।"

-√ मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 नवम्बर 2020 से प्रकाशित "राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 14/11/2020 से दिनांक 14/02/2021 तक अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रुपये 100/- पर वर्तमान मण्डी फीस रुपये 1.50/- के स्थान पर रुपये 0.50/- नियत की गई।"

-# दिनांक 15/02/2021 से मण्डी फीस की दर प्रति 100/- रुपये पर 1.50/- प्रभावशील है।

विगत 14 वर्षों में प्रदेश की मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की तुलनात्मक कुल आवक

मात्रा-लाख टन में

वर्ष	धान	ज्वार	बाजरा	मक्का	तुअर	मूंग/उड़द	सोयाबीन	मूंगफली	तिल
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2010-2011	12.78	0.26	0.43	4.64	2.19	2.89	65.01	0.35	0.72
2011-2012	20.48	0.21	0.70	4.30	1.77	2.92	48.69	0.35	0.42
2012-2013	21.16	0.21	0.52	4.96	3.40	3.24	43.54	0.24	0.26
2013-2014	25.61	0.13	0.36	4.21	2.72	2.24	38.66	0.27	0.13
2014-2015	27.38	0.19	0.97	7.42	3.14	5.19	31.62	0.37	0.44
2015-2016	26.96	0.28	0.98	10.09	2.50	3.91	22.55	0.41	0.78
2016-2017	36.56	0.35	0.80	13.44	3.16	5.62	30.41	0.31	0.37
2017-2018	30.71	0.23	1.11	18.95	4.15	11.35	38.57	0.47	0.63
2018-2019	39.26	0.17	0.89	24.92	2.80	8.48	46.77	0.85	0.50
2019-2020	46.72	0.33	1.25	13.74	2.54	4.45	33.66	0.50	0.40
2020-2021	39.25	0.38	0.81	14.20	1.57	6.27	27.98	0.45	0.17
2021-2022	65.94	0.72	0.96	24.97	2.11	9.88	25.96	0.51	0.30
2022-2023	71.50	0.31	1.22	24.61	1.74	9.55	38.81	0.93	0.27
2023-2024(Upto Jun23)	1.48	0.03	0.04	3.25	0.42	2.00	4.95	0.04	0.02

वर्ष	कपास	गेंहू	चना	मसूर	मटर अन्य	तिवड़ा	अलसी	सरसों	वनोपज	फल/सब्जी/ मसाला	कुल जिन्सों की आवक
01	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2010-2011	6.09	72.16	19.39	3.20	3.39	0.59	0.12	3.57	1.47	18.28	**217.52**
2011-2012	7.50	96.57	15.85	3.57	4.83	0.61	0.10	2.53	2.57	21.11	**235.09**
2012-2013	8.02	119.36	14.46	2.97	4.71	0.60	0.09	2.01	2.36	20.51	**252.63**
2013-2014	7.26	111.23	23.99	2.21	5.35	0.49	0.14	2.56	2.07	20.33	**249.95**
2014-2015	7.76	121.91	18.00	2.34	5.45	0.46	0.22	2.37	2.08	20.91	**258.24**
2015-2016	6.70	135.33	13.29	2.50	6.24	0.58	0.22	2.18	1.77	24.92	**262.20**
2016-2017	7.43	104.08	8.65	3.54	5.16	0.52	0.15	1.98	1.97	29.20	**253.70**
2017-2018	8.11	129.52	11.79	4.05	5.36	1.02	0.35	3.04	1.85	33.17	**304.44**
2018-2019	9.65	119.47	30.50	6.16	5.24	0.85	0.50	4.02	2.04	48.08	**351.14**
2019-2020	7.85	151.53	22.32	4.72	5.10	0.35	0.39	4.78	1.53	36.93	**339.08**
2020-2021	5.49	187.22	15.44	4.64	4.14	0.34	0.46	4.95	1.21	32.87	**347.84**
2021-2022	6.71	179.35	11.66	4.52	5.82	0.51	0.31	5.99	1.54	40.01	**387.79**
2022-2023	6.16	156.02	17.77	6.17	7.45	0.65	0.62	8.79	1.77	52.23	**406.56**
2023-2024(Upto Jun23)	1.37	116.51	11.51	3.30	2.12	0.15	0.39	4.15	0.55	13.89	**166.17**

किसान सड़क निधि :-

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2022-23 माह जून 2023 तक इस निधि अंतर्गत रुपये 6565.54 करोड़ ब्याज + रुपये 762.59 करोड़ = कुल मिलाकर रुपये 7385.59 करोड़ अर्जित किये गये। मण्डी बोर्ड द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को राज्य की सड़कों के विकास के लिये किसान सड़क निधि से माह जून 2023 तक रूपये 4006.81 करोड़ हस्तांतरित किये गये। किसान सड़क निधि से माह जून 2023 तक राशि रुपये 1560.71 करोड़ आंचलिक कार्यालयों को तथा राशि रुपये 412.19 करोड़ अन्य विभागों को इस प्रकार कुल राशि रुपये 1972.90 करोड़ विमुक्त किये गये।

कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि :-

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2022-23 माह जून 2023 तक इस निधि अंतर्गत रुपये 742.08 करोड़ अर्जित किये गये हैं। जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिये शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से माह जून 2023 तक रुपये 549.39 करोड़ एवं अर्जित ब्याज मद से विभिन्न संस्थाओं को माह जून 2023 तक राशि 172.39 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रुपये 721.78 करोड़ अनुदान स्वरुप प्रदाय किये गये।

गौ के संरक्षण तथा संवर्धन निधि :-

दिनांक 12 जुलाई 2004 को राजपत्र के माध्यम से यह योजना लागू की गई है। माह जून 2023 तक की अवधि में इस निधि में कुल रुपये 450.47 करोड़ प्राप्त हुये हैं। जिसमें से म०प्र०गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को कुल रुपये 425.46 करोड़ प्रदेश के समस्त जिलों की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं।

स्वर्णिम 50 वर्ष

1973-2023

प्रमुख योजनायें

01

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये यह योजना दिनांक 27-09-2008 से लागू की गई है। जिसमें संशोधन उपरांत वर्तमान में आंशिक अपंगता सहायता राशि रुपये 50,000/- स्थायी अपंगता सहायता राशि रुपये 1,00,000/- एवं मृत्यु होने पर सहायता राशि रुपये 4,00,000/- एवं अंत्येष्टि सहायता राशि रुपये 4,000/- दिये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति व्यय एवं प्रसूति अवकाश सहायता, विवाह के लिये सहायता, प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता सहायता, मृत्यु सहायता, अंत्येष्टि सहायता, मण्डी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना में सहायता आदि का समावेश किया गया है।

02

03

मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी-15-8/2013/14-3 दिनांक 07 अप्रेल 2016 के द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के सहायतार्थ "मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015" दिनांक 07 अप्रेल 2016 से प्रभावशील है। यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावी होगी, जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी हैं। योजना के अंतर्गत हितग्राही को न्यूनतम रुपये 1000/- से अधिकतम 2000/- तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा। इस योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा।

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना :-योजना अंतर्गत मण्डियों में प्रत्येक वर्ष में 2 बार नर्मदा जयंती एवं बलराम जयंती के अवसर पर लॉटरी पद्धति द्वारा ड्रा निकाले जाते हैं, जिसमें बम्पर ड्रा के पुरुस्कार में "क" प्रवर्ग की मण्डी समिति में 35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर एवं "ख", "ग" तथा "घ" प्रवर्ग की मण्डी समितियों में 50,000/- मूल्य तक के कृषि यंत्र दिये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त मण्डी के श्रेणी अनुसार राशि रुपये 1000/- से रुपये 21,000/- तक की नगद राशि के रुप में पुरुस्कार दिये जाते हैं।

04

05

कृषकों को 05/- रुपये में भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की 257 मण्डी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिये आये कृषकों को 05/- रुपये में भोजन थाली (न्यूनतम अनिवार्य मीनू - 6 पूरी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी, दाल एवं सब्जी के साथ) उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है।

06

ई-अनुज्ञा प्रणाली

कारोबार की सुगमता हेतु दिनांक 16-08-2019 से ई-अनुज्ञा पोर्टल प्रवर्त किया गया है वर्तमान तक कुल 70,21,890 अनुज्ञा पत्र जारी हुए हैं जिसमें व्यापारीयों द्वारा 54,27,584 अनुज्ञा पत्र स्वंय जारी किये गये है तथा मंडी कर्मचारियों की मदद से 15,94,306 अनुज्ञा जारी किये गये हैं। उक्त योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।मध्य प्रदेश के 58000 से अधिक व्यापारियों द्वारा उक्त प्रणाली का इस्तेमाल किया जा कर उनके द्वारा क्रय कृषि उपज के परिवहन हेतु गेट पास स्वयं के द्वारा बनाए जा रहे हैं मंडी कर्मचारियों द्वारा ना के बराबर अनुज्ञा जारी हो रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में उक्त प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है कृषकों को उक्त प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान पत्रक की एंट्री उक्त प्रणाली पर दर्ज हो रही है जिससे कृषकों के भुगतान को सुनिश्चित करने में मंडी समितियों को सहायता मिल रही है। उक्त प्रणाली संपूर्ण भारत में सिर्फ मध्यप्रदेश में प्रवृत की गई है जिसे एनआईसी के सहयोग से बनाया गया है।

07

ई-मंडी योजना

प्रणालीगत सुधार व पारदर्शी विनियमन की दृष्टि से ई-मंडी योजना लागू की गई जो कि ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित आगामी चरण है। ई-अनुज्ञा प्रणाली में बिक्री प्रमाणक को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज किया जाकर स्टाक क्रियेट होता है। स्टॉक क्रियेट होने पर अनुज्ञा पत्र जारी होता है। ई-मंडी में किसान के प्रवेश की एंट्री के उपरांत अनुबंध की टेबलेट या एंड्राइड मोबाईल पर एंट्री तदपरांत तौल की एंट्री तुलावटी द्वारा की जाकर बिक्री प्रमाणक व्यापारी द्वारा जारी किये जाते है, उक्त कार्य एंड्राईड एवं वेब एप्लीकेशन आधारित है, जिसमें एंड्राइड एप्लीकेशन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कार्य करेगा तथा आने वाले समय में मंडी में होने वाली आवक के अनुपात में जावक संपूर्ण एंट्रियां एक ही डेशबोर्ड पर दिखने लगेगा, यथा कृषि उपजों की आवक, नीलामी, तौल तथा भुगतान की प्रक्रिया स्ट्रीमलाईन हो जावेगी। मंडियों के रिकार्ड मैनुअली संधारण धीरे-धीरे समाप्त होगा तथा आने वाले समय में उक्त प्रणाली म.प्र. की समस्त 259 मंडियों में प्रभावी होगी।

- ई-मंडी की अवधारणा एक मंडी में संपूर्ण कार्यवाही (प्रवेश, अनुबंध, तौल, बिक्री प्रमाणक, निकासी अनुज्ञा) की रियल टाईम डाटा केप्चरिंग करना है।
- ई-मंडी योजना निर्धारित मंडी प्रांगण के अंदर कृषकों की प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान की प्रक्रिया को डिजीटल प्ररूप में पारदर्शी और विश्वसनीय करने की प्रक्रिया है।
- दिनांक 05/04/2021 से ई-मंडी योजना पायलेट के रूप में कृषि मंडी समिति भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर, सागर, गुना, सतना तथा हरदा में प्रवृत है।
- ई-मंडी एंड्राइड एप्लीकेशन (एप) का विकास एन.आई.सी भोपाल के द्वारा किया गया है।उक्त योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।

08

एम.पी. फार्म गेट ऐप -

एम.पी. फार्म गेट ऐप एक सरल व आधुनिक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे किसान अपने एंड्राइड मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज को अपने दाम पर मनचाहे व्यापारी को बेचने में सक्षम हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ-साथ अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर बिना किसी व्यय के बेचने की आजादी मिली है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पूरे देश में इकलौता राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त प्रणाली को मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित एम.पी. फार्मगेट एप प्रदेश की 8 मंडियों (भोपाल, हरदा, इंदौर, देवास, गुना, सागर, जबलपुर एवं सतना) में 01.08.2022 से पायलट के रूप में एंड्राइड एप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। साथ ही दिनांक 27.09.2022 से उज्जैन मंडी को पायलट योजना में शामिल किया गया है। एम.पी. फार्मगेट एप को मध्य प्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में सफल संचालन प्रारंभ किया गया है। उक्त एप का उपयोग कर 19,333 कृषको द्वारा 132 लाख क्विंटल विभिन्न कृषि उपज विक्रय की गई है। फार्म गेट से किसानों से सीधा क्रय, पूर्व में सौदा पत्रक पोर्टल के माध्यम से अप्रैल 2021 से किया गया है। वर्तमान दिनांक 30/07/2023 तक कुल 93.65 लाख टन विभिन्न कृषि उपजों के सौदे संपादित हुए हैं जो मंडी प्रांगण में हुई कुल आवक का 14% है। उक्त ऐप को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है।

09

फ्लाइंग स्कॉट ऐप –

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा व्यापार पर नियमन नियंत्रण तथा कृषि स्कंध गोदामों के निरीक्षण के लिए एक अत्यंत सरल व आधुनिक एंड्राइड बेस्ट एप्लीकेशन का विकास एनआईसी के सहयोग से किया गया है ।जिसमें मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्रवाई को रियल टाईम लॉगीट्यूड लेटीट्यूड सहित दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है। जिससे की कार्रवाही पारदर्शी और प्रमाणिक रहे।

10

NATIONAL AGRICULTURE MARKET

भारत सरकार की 'एक राष्ट्र-एक बाजार' राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (e-NAM)

दिनांक 14 अप्रेल 2016 को माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (e-NAM) पोर्टल की शुरुवात। प्रदेश की एक मण्डी "पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी समिति करोंद भोपाल" में पायलट योजना का आरम्भ हुआ।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रानिक ट्रैडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिये मौजूदा कृषि उपज मण्डी समिति का एक प्रसार है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मण्डी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिये सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिये प्रावधान शामिल हैं।

वर्तमान में प्रदेश की कुल 80 चयनित कृषि उपज मण्डी समितियां योजना में शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (e-NAM) पोर्टल पर कृषि जिन्सों की ऑनलाईन ट्रेडिंग की जा रही है। 56 अन्य कृषि उपज मंडियों को योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत e-NAM Portal के माध्यम से वर्ष 2022-23 "माह अप्रेल से मार्च तक" प्रदेश की कुल 80 मण्डी समितियों में 405 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 17.30 लाख मैट्रिक टन कृषि जिन्सों का व्यापार किया गया, जिसका मूल्य लगभग 5946.18 करोड़ रुपये है। इस अवधि में 160 कृषकों का पंजीयन e-NAM Portal पर किया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत e-NAM Portal के माध्यम से वर्ष 2023-24 "माह जून तक" प्रदेश की कुल 80 मण्डी समितियों में 41 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 4.62 लाख मैट्रिक टन कृषि जिन्सों का व्यापार किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1309.40 करोड़ रुपये है। इस अवधि में 28 कृषकों का पंजीयन e-NAM Portal पर किया गया है।

11

स्वर्णिम 50 वर्ष
1973-2023

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पवारखेड़ा जिला नर्मदापुरम

प्रदेश में निजी जन भागीदारी योजना (Public Private Partnership) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2008-09 में नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ग्राम व्यावरा एवं रैसलपुर में 115.76 एकड़ भूमि प्राप्त की जाकर "Multimodal Composite Logistics Hub" को विकसित किया गया। जिसमें 88.3 एकड़ भूमि पर railway siding, cargo एवं container movement के लिये Inland Container Depot, cold chain, विभिन्न प्रकार के warehouse के साथ आवश्यक सुविधाओं में पक्की सड़कें, विद्युत/जल व्यवस्था आदि सुविधायें निर्धारित समय सीमा अप्रेल 2015 में पूर्ण कराई गई।

पवारखेडा जिला नर्मदापुरम में जन निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य निवेशक मे० मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजना अनुमानित लागत राशि रू. 138.50 करोड़ है। निवेशक द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार परियोजना के कार्य दो चरणों में पूर्ण किया जाना था, जिसमें प्रथम चरण के कार्य निर्धारित समयावधि 2015 में पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण के कार्यों में निवेशक द्वारा इनलैण्ड, कन्टेनर डिपो, रेलवे टर्मिनल एवं कोल्ड चैन के लिए भण्डारण तथा प्रसंस्करण केन्द्र के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज विभिन्न प्रकार के वेयरहाउस, कृषि उद्योग, मूल्य संवर्धन सेवाएं, ड्रॉय टर्मिनल पोर्ट आदि सुविधाये उपलब्ध करायी जा रही है। अनुबंध के प्रावधान अनुसार परियोजना वर्ष 2019 में पूर्ण किया जाना था किन्तु निवेशक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उक्त परियोजना पूर्ण करने की अवधि 03 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21.4.2022 तक बढ़ायी गयी है।

वर्तमान स्थिति में पवारखेड़ा नर्मदापुरम में पी.पी.पी. योजना से संचालित लॉजिस्टिक परियोजना की एजेंसी केसर मल्टीमाडल लॉजिस्टिक लिमिटेड, मुम्बई In THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL MUMBAI BENCH : C-IV CP (IB)-97 / MB/2021 Under Section 7 of the, 2016 In the matter of Bank of Baroda v/s Kesar Multimodal Logistics Ltd. Order Pronounced on 17.02.2022 वर्तमान में गठित संचालक मंडल को ट्रिब्रल कोर्ट द्वारा भंग कर श्री प्रशांत जैन को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया गया था। प्रकरण ट्रिब्रल कोर्ट से मुक्त हो चुका है।

12

ऑनलाइन लाइसेंस व इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग

म०प्र० कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 में विशेष प्रावधान किये गये।साथ ही साथ सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मंडी समितियों के कारोबारी व कृत्यकारी लाइसेंसों को भी एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत समय सीमा में जारी किये जाने की व्यवस्था की गई।

13

फल-सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा

म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 6 में म०प्र० कृषि उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2011 से संशोधन किया जाकर फल (केले को छोड़कर)-सब्जी को मण्डी प्रांगण के बाहर विक्रय करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय-विक्रय की गई फल-सब्जी को विनियमन से मुक्त रखा गया है।

14

इलेक्ट्रानिक तौल कांटे

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश के कृषकों को सटीक तौल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश की कुल 259 कृषि उपज मण्डी समितियों में से 144 मण्डियों में बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे तथा 6181 नग छोटे इलेक्ट्रानिक तौल कांटे सभी मण्डियों में स्थापित हैं। शेष 113 मण्डियों में तौल कांटे स्थापित कराने हेतु संबंधित मण्डियों में एकजाई निविदा दिनांक 29 मार्च 2019 को आमंत्रित की गई थी, जिनमें से 19 मण्डियों में निविदायें प्राप्त हुई है। जिनमें 10 मण्डियों में निविदा स्वीकृति की कार्यवाही हो गई है। शेष 103 मण्डियों में कार्यवाही प्रचलित है।

15

कलर सोरटेक्स प्लांट
कृषि उपज मंडी, मंदसौर

कलर सार्टेक्स एवं ग्रेडिंग प्लांट लगाने का उद्देश्य

कृषकों की उपज को क्लिनिंग, ग्रेडिंग एवं सार्टिंग मशीन द्वारा करने से गुणवत्तानुसार फसल को अलग-अलग किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना संभव हो रहा है। कृषि उपज मण्डी समिति मंदसौर द्वारा अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पूर्ण आटोमेटिक कलर सार्टेक्स ग्रेडिंग. क्लीनिंग, "बुलहर यूनाईटेड किंगडम यू.एस.ए." से संयत्र को क्रय कर इसकी स्थापना में रूपये 277.95 लाख का व्यय किया गया है और इसका संचालन 10 वर्ष की लीज अनुबंध आधार (वार्षिक किराये रूपये 27.5 लाख) पर किया जा रहा है। प्रदेश अंतर्गत 25 मण्डी समितियों में कलर सारटेक्स प्लांट लगाने की कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के परिपालन में की जा रही है।

वर्तमान में प्रदेश की चयनित 58 ई-नाम मण्डी समितियों में से 50 मण्डी समितियों में 5 मिट्रिक टन ग्रेडिंग, क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट स्थापना हेतु निविदा के प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा अस्वीकृत की गई है। 500 में. टन क्षमता के गोदाम निर्माण के साथ उक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र अंतिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस सुविधा के आरम्भ होने से कृषि उपज को क्लिनिंग, ग्रेडिंग एवं सार्टिंग करने से गुणवत्तानुसार फसल को अलग अलग करना एवं किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना संभव हो सकेगा।

16

राईपेनिंग चेम्बर्स एवं इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना

बुरहानपुर मण्डी एवं अंजड़ की उपमण्डी बरुफाटक में राईनेनिंग चेम्बर्स एवं इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की सुविधा एपीडा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

17

बहुउद्धेशीय ग्रामीण वाणिज्यिक केन्द्रों की योजना

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश शासन से प्रति केन्द्र अनुमानित लागत रुपये 130 लाख के मान से 100 केन्द्रों के लिये स्वीकृत राशि रुपये 130.00 करोड़ के विरुद्ध 100 केन्द्रों के निर्माण कार्य माह मई 2021 की स्थिति में 98 केन्द्रों के कार्य पूर्ण हो चूके हैं। शेष 02 केन्द्रों के कार्य माह 31/03/2022 तक युक्त युक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी पूर्ण नहीं करने के अनुक्रम में अनुबंध निरस्त कर दिया गया, संबंधितों के द्वारा अनुबंध निरस्त की कार्यवाही के विरुद्ध आवेदन किया गया है, आवेदन के निराकरण उपरांत अपूर्ण कार्य हेतु पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।

18

265 विकास खण्डों पर नवीन मृदा प्रयोगशालाओं के निर्माण की योजना

किसानों की मृदा का परीक्षण मंडी स्तर पर कराने हेतु नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की स्वाईल हेल्थ कार्य योजना के तहत प्रदेश में 75 विकास खण्डों पर आर.के.व्ही.वाय. तथा 190 विकास खण्डों पर किसान सड़क निधि अंतर्गत कुल राशि रुपये 95.40 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं। माह जून 2021 की स्थिति में 265 विकास खण्डों पर नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार मण्डी बोर्ड की जिला स्तर की 26 मण्डी समितियों में स्थापित मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन उनके मातहत कार्य करने हेतु हस्तांतरित किया गया है।

19

फल-सब्जी मण्डी आधुनिकीकरण

प्रदेश में फल-सब्जियों/आधुनिक मण्डियों का निर्माण कराने के लिये प्रथम चरण अंतर्गत 14 मण्डियों में राशि रुपये 92.33 करोड़ की स्वीकृति दी जाकर जिसमें मुख्य रुप से बहुद्देशीय शेड (मल्टी यूटीलिटी हाईराईज शेड), ट्रालीशेड, केश काउन्टर, सी.सी.रोड, आफिस, केंटीन, बाउण्ड्रीवाल, चेकपोस्ट, सुलभ शौचालय, विद्युत एवं जल व्यवस्था, कृषक विश्रामगृह, मल्टीपरपज हॉल इत्यादि। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग यूनिट एवं कलर सार्टेक्स, ग्रेडिंग व पैकेजिंग, वेस्ट डिस्पोजल, वे-ब्रिज, सी.सी.टी.वी. कैमरा, सण्ड्रीशाप्स, गोदाम इत्यादि की सुविधायें भी किसानों को उपलब्ध होगी।

20

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम

भारत सरकार द्वारा कृषि अधोसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अधोसंरचना के लिये 01 लाख करोड रूपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है, जिसमे से मध्यप्रदेश को राशि रूपये 7440 करोड से रूपये 12000 करोड़ तक की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया जायेगा। इस योजना के द्वारा कृषक कृषि से जुड़े उद्यमि, एफ.पी.ओ.एस., स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पी.ए.सी.एस. इत्यादि जो भी लोग कृषि से जुड़े है एवं कृषि अधोसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते है, उन्हे 02 करोड़ रूपये की सीमा तक ऋण पर 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 07 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगी यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन, वेयर हाउस, सायलो, पैक हाउस, विश्लेषण/जांच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चेम्बर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन ईकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रीसिजन फार्मिंग इत्यादि के लिये प्रदान की जा रही है।

यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस योजना में देश के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनांतर्गत मध्यप्रदेश में बैंकों द्वारा 6135 आवेदन, रूपये 4568.00 करोड़ राशि के सत्यापित हो चुके हैं एवं उक्त आवेदनों में से 3622 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। यह योजना हमारे प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 एवं 2023 में 7 चरणों में की गई 203 अनुकम्पा नियुक्तियों की झलकियाँ

प्रथम चरण दिनांक 09.04.2021- संख्या-36

द्वितीय चरण दिनांक 23.07.2021- संख्या-52

तृतीय चरण दिनांक 08.11.2021- संख्या-40

चतुर्थ चरण दिनांक 24.02.2022- संख्या-13

पंचम चरण दिनांक 26.09.2022- संख्या-13

छठे चरण दिनांक 23.01.2023- संख्या-25

कार्मिक शाखा

मंडी बोर्ड मुख्यालय, संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालयों, मंडी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के असामयिक निधन होने के पश्चात समय सीमा में निराकृत करते हुये संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाकर आदेश प्रदान किये गये।

क्र.	दिनांक	सहा.ग्रेड-3	भृत्य	कुल
1	12.04.21	29	7	36
2	27.07.21	35	16	51
3	10.11.21	30	11	41
4	24.02.22	9	4	13
5	26.09.22	8	5	13
6	24.01.23	11	14	25
7	04.07.23	20	4	24
			कुल योग	203

मान. मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान
भोपाल मंडी में गेहूं नीलामी का अवलोकन करते हुये

मंडी बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक

मंडी हरदा में विकास कार्यों की सौगात देते हुये मान. कृषि मंत्री श्री कमल पटेल

विदिशा मंडी का अवलोकन करते हुए अपर मुख्य सचिव, कृ

एम.पी. फार्मगेट एप को सीएसआई अवार्ड,
नई दिल्ली के अवसर पर

मंडी का मैदानी अमला

सब्जी मंडी गेट कृषि उपज मंडी मंदसौर

बालाजी भोजनालय एवं कृषक विश्राम गृह कृषि उपज मंडी मंदसौर

कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, करौंद

भोपाल मंडी का विहंगम दृश्य

सुसज्जित कृषक विश्राम गृह, भोपाल मंडी

सुसज्जित कृषक विश्राम गृह की डॉरमेट्री, भोपाल मंडी

मिर्च नीलामी बेड़िया मंडी

कपास नीलामी, गंधवानी मंडी

इंदौर मंडी

महू मंडी

बदनावर मंडी

खरगोन मंडी

भीकनगांव मंडी

खेतिया मंडी

खंडवा मंडी

पंधाना मंडी

कृषक विश्राम गृह करोंद मंडी

खरगोन मंडी

मंडी बोर्ड में हुई कौशल विकास प्रशिक्षण पर कार्यशाला
एगमार्क नेट पोर्टल पर अच्छा काम करने वाले सहायक उपनिरीक्षक हुए सम्मानित
प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडी बोर्ड के सभी संभागों में
मंडी बोर्ड अपर संचालक ने तौल, भुगतान व नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया देखी
कृषक सभागृह और संगोष्ठी भवनों का निर्माण समय-सीमा में पूरा करें : मंत्री कमल पटेल
कार्यशाला आयोजित कर AIF योजना का जोरदार प्रचार-प्रसार कर दी गयी उपयोगी
मुख्यमंत्री ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री चौहान को कृषि मंत्री ने अवार्ड सौंपा
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई मंडी बोर्ड संचालक मण्डल की बैठक
विभिन्न प्रस्ताव पर बनी सहमति
व्यापार हरिभूमि 10
केंद्रीय कृषि विभाग, संयुक्त सचिव डॉ.विजया लक्ष्मी भा के दौरे पर
मंडी बोर्ड में की समीक्षा बैठक, ई-नाम को सशक्त बनाने किया मार्गदर्शन
धान खरीदी केंद्रों पर महिला हम्मालों ने संभाली जिम्मेदारी
मण्डी बोर्ड में 25 आश्रितों को दिये अनुकम्पा नियुक्ति-पत्र
सरकार संवेदनशीलता के साथ कर रही काम : कृषि मंत्री पटेल
मासिक पत्रिका मंडी और खलिहान के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन
मध्यप्रदेश में एआईएफ योजना का व्यापक प्रसार
महिला उद्यमियों ने स्थापित किए 2753 प्रोजेक्ट
#cityEconomy
2000 करोड़ रु सालाना का होता है कारोबार
100 ट्रक प्याज और लहसुन भेजा बांग्लादेश
दक्षिण के राज्यों से आते हैं मसाले
एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
'मिठास' की जीआइ टैगिंग में यूनिक पैरामीटर का रोड़ा
भीड़, इंतजार से राहत: किसान घर बैठे व्यापारियों को बेच सकेंगे उपज
प्रदेश की 259 मंडियों में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए रिजर्व होंगे अलग शेड, अगले माह से मंडियों में शुरू हो जाएगी ये व्यवस्था
कोरोना के संक्रमण को रोकने जावर के किसानों से सौदा पत्रक
The Hitavada
e-Governance Award from Computer Society of India to MP Farm Gate App
वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
मंडी में आने वाले कृषकों को अच्छी सुविधा दी जाए: जी.व्ही. रश्मि
भारत से गेहूं निर्यात में मध्यप्रदेश बना सिरमौर
किसानों को बेहतर दाम मिले, इसलिए प्रदेश की 21 मंडियों में लगेंगे कलर सॉर्टेक्स प्लांट
11,514 किसान बेच चुके 45.22 लाख क्विंटल उपज
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का आयोजन
किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया वरिष्ठ अधिकारियों ने
योजनाओं की जानकारी देकर किसानों के हित संरक्षण
मैक्सिको तक पहुंची निमाड़ी मिर्च
स्वदेश
मंडी बोर्ड ने अब तक कुल 203 आश्रितों को दी अनुकंपा नियुक्ति
कृषि मंत्री ने 24 कर्मचारियों को वितरित किए अनुकंपा नियुक्ति पत्र
मंडी बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष प्रदेश से एपीडा के माध्यम से मध्यप्रदेश से कृषि उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ
कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी सरकार
विदिशा 09-12-2022
4046 के रिकार्ड भाव में बिकी धान, एक दिन में 250 रुपए बढ़े
मंडी गेट के बाहर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से नीलामी के लिए 2 नए प्लेटफार्म तैयार
समय जगत
मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने प्रस्तुत किया अध्ययन प्रतिवेदन